हिमाचल प्रदेश राज्य युवा नीति–2002

कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेन्सीः

युवा सेवा एवं खेल विभाग,

हिमाचल प्रदेश ।

हिमाचल प्रदेश राज्य युवा नीति–2002

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1–2
2.	परिकल्पना वक्तव्य	2
3.	नीति उद्देश्य	2–3
4.	युवा महत्व के क्षेत्र	3–12
5.	प्राथमिक लक्ष्य समूह	12–13
6.	कार्यान्वयन प्रणाली	13
7.	समीक्षा	13
8.	निष्कर्ष	13–14
9.	कार्य योजना (अनुबन्ध)अनुबन्ध ''क''	15–20

हिमाचल प्रदेश राज्य युवा नीति–2002

1. प्रस्तावनाः

1.1 21वीं शताब्दी में पदार्पण अपने लक्ष्यों व प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने का अवसर प्रदान करता है । प्रगति व विकास के आयाम, मानवता को जूझने के लिए, नई चुनौतियां भी समक्ष लाते हैं । युवा वर्ग वृद्धि व परिवर्तन के द्योतक के रूप में विकास का महत्वपूर्ण स्त्रोत व उदेश्य भी है । युवाओं को किसी भी समाज में आशा, कल्पना उत्साह, उर्जा, आदर्श व धमनियों में उफनते रक्त का पर्याय माना जाता है । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का गौरवमयी इतिहास युवा अभिव्यक्ति के सुनहरे वृतान्तों से भरा पड़ा है । यह विभिन्न स्वरूपों में, युवा दिलों की आदर्शवादिता ही थी जिसने समूचे राष्ट्र को आजादी का प्यासा बना दिया । तब से आज तक युवाओं के आकार व अनुपात में गुणात्मक वृद्धि हुई है । राष्ट्रीय स्तर पर 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या को 40 प्रतिशत भाग, एक विभिन्नता से परिपूर्ण वर्ग, अधिकतः शिक्षा व रोजगार की कशमकश को लेकर निरन्त पलायान में हैं । युवा आवश्यकताऐं व प्राथमिकताऐं आयु, शिक्षा, भौगोलिक स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता व सामाजिक वातावरण के अनुरूप बदलती है । रोजगार की जदोजहद, सघन प्रतिस्पर्धा, व दबाव के चलते नशों की ओर रुख, मुक्त संचार व्यवस्था से भटकाव वादी शक्तियों का परम आकर्षक व अधिकांश के लिए नित्यप्रति जीवन यापन ही प्राथमिकता, जैसी चुनौतियां आज के युवा वर्ग के लिए अत्यन्त दबावपूर्ण वातावरण निर्मित कर रही है ।

1.2 युवा वर्ग के लिए बाल्यकाल से युवाकाल तक के सफर को निर्विधन व क्षमतादायी सुनिश्चित करने हेतु उत्तरोत्तर सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता विकास व मनोरंजक खेल सुविधाओं में सुधार का निरन्तर प्रयास किया है । लेकिन युवाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए समन्वित प्रयास, एक

लम्बे समय से संजोया स्वप्न है । राज्य युवा नीति, इसी स्वप्न को यथार्थ में परिवर्तन करने की दिशा में एक कदम है, यह एक प्रयास है जो युवाओं को निहित उर्जा के दोहन व फलने–फूलने की अनुकूल परिस्थितियों को सुनिश्चित करेगा । भविष्य की परिकल्पना व नई सहस्त्राब्दी में युवा परिदृष्य के दृष्टिगत, राष्ट्रीय युवा नीति (प्रस्तावित) में युवा आयु को 15 से 35 वर्ष से घटाकर 13 से 35 वर्ष कर दिया गया है, राज्य इसी का अनुसरण करेगा । वर्ष 1981 में हिमाचल प्रदेश में युवाओं की संख्या कुल 42,80818 का 31.88 प्रतिशत भी, अब यह अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक है । शहरी बस्तियों में युवाओं की विकास दर बढ़ी है । ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अधिकांश युवा बसते हैं, लेकिन वह बिखरे पड़े हैं बेरोजगारी की विकराल रूप धारण करती समस्या व घटता लिंग अनुपात सभी स्तरों पर तुरन्त हस्तक्षेप की दस्तक देता है ।

1.3 स्वतन्त्रता प्राप्ति से, राष्ट्रीय प्राप्ति से, राष्ट्रीय विकास में युवाओं की महत्वपर्ण भूमिका को स्वीकारा गया है । राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय प्रतिभगिता व व्यक्तित्व विकास योजनाओं पर विशेष बल दिया गया । आठवें दशक के प्रारम्भ में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर युवा सेवाओं का प्रादर्भाव हुआ । सातवीं पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय युवा नीति तथा 1992 में कार्य योजना के निर्माण ने युवा मुद्दों को सम्मुख पंक्ति में ला खड़ा किया । राष्ट्रीय स्तर पर नौंवा दशक युवा क्षेत्रों में युवाओं की दावेदारी को स्वीकारा गया । राज्य युवा नीति में दसवीं पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना को अपनाया गया है । मुख्यतः युवा सशक्तिकरण, बेरोजगारी उन्मूलन, लिंग समानता, युवा स्वास्थ्य, उत्तरदायी जीवन निर्वहन व योजना एंव विकास में युवाओं को केन्द्र बिन्दु बनाए जाने के मील पत्थरों को प्राप्त करना है । राज्य खेल नीति के माध्यम से भी सम्बद्ध क्षेत्रों में युवा महत्व के मुद्दों को परोक्षतः सुलझाने का प्रयास किया गया है । राज्य युवा नीति को लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, आत्मनिर्भता, राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्र की एकता के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर आधारित किया गया है । समानता, भागीदारी व पहुंच, युवा विकास के प्रयासों व युवाओं के साथ कार्य करने में, बीज मन्त्र रहेगें ।

2. परिकल्पना वक्तव्यः

3.

2.1 विकास प्रक्रिया में युवा महत्वपर्ण कड़ी है । समक्ष व सकारात्मक सोच वाले युवा ही अपनी क्षमताओं को विकसित कर राष्ट्रीय विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं । राज्य युवा नीति में ऐसे दिशा–निर्देश निहित हैं जो युवा सम्बद्ध मुद्दों पर सम्भावित कार्य योजना को विकसित करने में सहायक होगें । यह दिशा निर्देश राष्ट्रीय एवं व्यैक्तिक स्तर सहित समस्त युवा मुद्दों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में सुविधाजनक होगें । युवा, समाज, सरकार तथा गैर–सरकारी संगठनों के संयुक्त प्रयास अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण में सहायक होगें ।

3. नीति उदेश्यः

राज्य युवा नीति के उदेशय इस प्रकार हैः–

3.1 युवा सम्बन्धी समस्याओं के निदान में एकीकृत दृष्टिकोण के विकास की राज्य की वचनवद्धता को सशक्त करना व युवा सहायक वातावरण/परिस्थितियों का निर्माण करना

3.2 युवाओं में भारतीय संविधान में निहित सिद्धान्तों व मूल्यों के प्रति जागरूकता तथा आदर की भावना जागृत करना व राष्ट्रीय एकता, अहिंसा, धर्म–निरपेक्षता, युवा कल्याण एवं कानून के नियमों को मानने के प्रति वचनबद्धता लाना ।

3.3 समस्त सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना व निर्णय प्रक्रिया में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना ।

3.4 युवाओं को सही शिक्षण व प्रशिक्षण अवसर प्रदान करना तथा आर्थिक उत्पादक गतिविधियों के उपलब्ध अवसरों की पूर्ण जानकारी सुलभ करवाना ।

3.5 युवाओं में स्वरोजगार प्रयासों को बढ़ावा देना व लोकप्रिय बनाना ।

3.6 स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य व अन्य सूचना सेवाओं की जानकारी को युवाओं तक सुलभ करवाना ।

3.7 सहायक सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करना ताकि युवा वर्ग नशीली दवाओं व नशीले पदार्थों की ओर आकर्षित हो बीमारियेां का शिकार न बनें ।

3.8 प्रकृति के संरक्षण व रख–रखाव में युवाओं को प्रमुख भागीदारी के रूप में प्रोत्साहित करना ।

3.9 युवाओं में सकारात्मक व विवेचनात्मक सोच सहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना ।

3.10 युवाओं में वृद्धों व बुजुर्गो के प्रति आदर तथा सेवाभाव के आदर्शो को जागृत करना व सहयोगात्मक परिवार एवं सामाजिक वातावरण को बढ़ावा देना ।

3.11 सभी युवाओं तक खेल एवं अन्य मनोरंजन सुविधाओं की पहुंच सुलभ करवाना ।

3.12 युवाओं में भारतीय इतिहास, विरासत, कला एवं संस्कृति तथा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता का सृजन करना ।

3.13 समस्त युवा प्रयासों में लिंग भेद संवेदन दृष्टिकोण सुनिश्चित करना ।

3.14 युवाओं में साहसिक भावना को बढ़ावा देने ।

3.15 राष्ट्रीय तथा वैयक्तिक मुद्दों पर युवा समूहों/क्लबों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना ।

3.16 युवाओं में गैर औपचारिक समूह गतिविधियों को गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना ।

4. युवा महत्व के क्षेत्र :

4.1 युवा काल परिवर्तन, ज्ञान व निपुणता अर्जित करने, दृष्टिकोण व व्यवहार के संवारने व आशा का द्योतक है । समाज युवा वर्ग की अनौपचारिक शिक्षा स्थली है, फलतः युवा महत्व के क्षेत्र विस्तृत व व्यापक है, किसी भी मुद्दे को टटोलें युवा हित अथवा अहित किसी न किसी रूप में विद्यमान होगा ।

4.2 सामान्यतः युवा मुद्दों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता हैः संरचनात्मक पथमार्ग एवं वैयक्तिक संरचनात्क पथमार्ग, वाल्यकाल से युवाकाल तक के बदलाव /विकास तथा निर्भरता से स्वावलम्बन तक के सफर में सहायक विषय है जबकि वैयक्तिक मुद्दे नागरिकता, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी व राष्ट्र की मुख्यधारा में सक्रिय प्रतिभागिता से सम्बन्धित है । राज्य युवा नीति के माध्यम से, युवा महत्व के निम्न क्षेत्रों की पहचान की गई हैः

(क) शिक्षा तथा प्रशिक्षण

(ख) युवा रोजगार

(ग) स्वास्थ्य एवं जनसंख्या

(घ) युवा सशक्तिकरण

(च) लिंग समानता

(छ) पर्यावरण

(ज) मादक पदार्थों को दुरूपयोग

(झ) मनोरंजन, खेल व विश्राम

(ट) कला एवं संस्कृति

(ठ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(ड) नागरिंक एवं नागरिकता

4.2(क) शिक्षा तथा प्रशिक्षण

युवा वर्ग के सन्दर्भ में, शिक्षा एवं आर्थिक उत्पादक गतिविधि कर सकने की क्षमता भविष्य की तैयारी में दो महत्वपूर्ण मानक हैं । हिमाचल प्रदेश ने 77.13 प्रतिशत की साक्षरता दर को सम्भव कर जनमानस तक शिक्षा को सुलभ करने की दिशा में बड़ी छलांग ली है । राज्य युवा नीति प्रत्येक युवा के उपयुक्त शिक्षा के अधिकार को मानती है जो शिक्षा युवा वर्ग को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी व सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने में सहायक बन सके । यथार्थ में अधिकांश के लिए स्कूली शिक्षा एक विलासिता है जबकि जीवन यापन के लिए रोजगार एक अनिवार्यता । वर्तमान विद्यमान शिक्षा प्रणाली के सम्मुख दो चुनौतियां हैं । प्रथम निःसन्देह, शिक्षा प्रणाली के रोजगार के प्रति प्रसांगिक होना व युवा वर्ग के लिए वयस्कता के बदलाव में उपयोगी होना है । ग्रामीण वर्ग, युवा महिला घुमन्तु, शरणार्थी, अल्पसंख्यक व शारीरिक एवं मानसिकता रूप से ग्रस्त युवाओं के लिए उपयुक्त एंव समान शिक्षा सुविधाऐं प्रदान करना भी सर्वोपरि है ।

राज्य युवा नीति का यह प्रयास रहेगा कि 15 से 19 वर्ष की निर्णायक अवस्था मे युवाओं को अकुशल मजदूर सेना के बजाय शिक्षण एंव प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रोत्साहित किया जाये । शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पंचायती राज तथा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से निम्न क्षेत्रों में बल दिया जायेगा ।

ज्ञान अर्जन प्रक्रिया आनन्ददायक होनी चाहिए व विद्यार्थियों, विशेषतः कम उम्र में, पर व्याप्त दबाव को न्यूनतम करने का प्रयास करना अति आवश्यक है ।

बाह्य ज्ञान अर्जन शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग हो ।

शारीरिक शिक्षा,खेल एवं प्रसार शिक्षा को शिक्षा प्रणाली के अंग के रूप में लोकप्रिय किया जाऐ ।

युवा वर्ग को अपेक्षित अर्थिक चुनौतियों से जूझने में उपयुक्त रूप से सक्षम बनाने हेतु माध्यमिक व उपरी स्तर की शिक्षा के व्यावसायीकरण को सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है ।

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों व अन्य औपचारिक तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों को रोजगार बाजार की मांगों के अनुरूप ढाला जाता रहेगा ।

संस्थान विशेष आधार पर शिक्षण संस्थानों व भावी नियोक्तओं के मध्य निकट सम्पर्क विकसित किए जाएंगें ।

कारीगर निपुणताओं के उन्नयन हेतु कार्यक्रम विकसित करने व गैर पारम्परिक नये व्यवसायें में प्रशिक्षण सुविधओं को प्रारम्भ करने हेतु प्रयास ।

पर्यटन व जैविक प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के क्षेत्र में आवश्यक सुविधाऐं का विकास ।

युवाओं के लिए जीविकोपार्जन के क्षेत्र में उपयुक्त जानकारी के प्रसार हेतु कार्यक्रम तय किया जायेगा ।

अकुशल युवा वर्ग का शहरी बस्तियों व पड़ोसी राज्यों की ओर पलायन की चुनौति से निपुणता कार्यक्रमों को सशक्त बना कर निपटा जायेगा ।

4.2 (ख) युवा रोजगारः

बढ़ती बेरोजगार युवा जनसंख्या राज्य की प्रमुख चिन्ता है । युवाओं से सम्बन्धी, यह सब से गम्भीर मुद्दा है । व्यापक बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार ही कई सामाजिक समस्याओं की जननी है । मादक पदार्थो का दुरूपयोग, शराब सामाजिक मूल्यों में ह्रास, बदमाश प्रवृति, किशोर अपराध व राजनीतिक सामाजिक व धार्मिक मुद्दों के नाम पर उफनता उग्रवाद जैसी विकराल समस्याओं का हल सुनिश्चित रोजगार द्वारा ही सम्भव है ।

जनसंख्या विस्फोट व पारम्परिक व्यवसायों में बदलाव के चलते बेरोजगारी एक सर्वव्यापक तथ्य है । प्रतिवर्ष बेरोजगारी की बढ़ती दर बारे मतभेद हो सकता है परन्तु यह सत्यता है कि रोजगार वृद्धि दर आवश्यकता से कहीं कम है । वर्ष 1995 से 2002 के मध्य पूर्ण रोजगार की परिकल्पना हेतु 4 प्रतिशत की वृद्धि दर अपेक्षित थी जिसके लिए सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत वृद्धि दर की आवश्यकता थी । वर्तमान रूख अनुसारः

(क) रोजगार वृद्धि दर, कामगर वृद्धि दर से कहीं कम रहती है ।

(ख) रोजगार वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के अनुरूप नहीं बढ़ती ।

सम्पूर्ण रोजगार के स्वप्न को साकार करने में कुछ प्रमुख समस्याएं हैंः

- रोजगार अवसरों व उपलब्ध निपुणता में भेद/असमानता
- न्यूनतर निपुणता, न्यून वेतन व न्यूनतम उत्पादकता
- करीगरी से अकुशल कामगीर की ओर व्यावसायिक बदलाव
- मौसमी कारणों से अपूर्ण रोजगार, श्रमिकों की मांग से अधिक आपूर्ति
- अकुशल श्रम जीवियों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन ।
- औद्योगिक क्षेत्र की पूंजी एंव साधनों के निवेश अनुरूप रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में अक्षमता ।

तकनीक एवं संचार में विकास ने भी बेराजगारी की समस्या को गहन किया है । न्यूनतम श्रमजीवियें के सहयोग से अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना व कम लागत उत्पादन माध्यम, सकारात्मक संकेत हैं परन्तु यह सब युवा वर्ग के लिए कम होते रोजगार अवसरों का मानक भी है ।

इस चुनौति का सामना रोजगार के क्षेत्र में नवीन अवसरों की खोज व विकास से करना है । जैविक प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व साहसिक पर्यटन, जल विद्युत के क्षेत्र में राज्य की क्षमता का सम्पूर्ण दोहन, खनिज सम्पति, जड़ी बूटी उत्पादन व संचार

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं का विकास हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न अवसरों में से कुछ है । विभिन्न संस्थायें इन क्षेत्रों में प्रयासरत है । युवा नीति वांछित समन्वय व अविलम्ब उपलब्धता की अनुभूति प्रदान करने का प्रयास करेगी ।

4.3 (ग) स्वास्थ्य एवं जनसंख्याः

युवा स्वास्थ्य एक नवीन क्षेत्र है । युवा एक स्वस्थ व जोश से परिपूर्ण वर्ग माना जाता है । सामान्यतः सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थिति ही युवा स्वास्थ्य को प्रतिबिम्बित करती है । परन्तु इस परिदृश्य में परिवर्तन, संकामक रोगों में वृद्धि, मानसिक तनाव, प्रजनन एवं लैंगिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उभरी चुनौतियों के फलस्वरूप आया है । युवा वर्ग ही जनसंख्या विस्फोट से अत्याधिक प्रभावित वर्ग व भावी वृद्धि का कारक

होता है । अतः नीति निर्धारकों का मानना है कि युवा स्वास्थ्य व उत्तरदायी लैंगिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य समूह आधारित दृष्टिकोण का अपनाया जाना नितान्त आवश्यक है । युवा स्वास्थ्य के दृष्टिगत दो उपवर्ग बनते हैं । किशोरावस्था (10 से 19 वर्ष) व अन्य युवा वर्ग (20 से 35 वर्ष) ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की न्यून औसत आयु में शादी किशोर स्वास्थ्य को नया आयाम प्रदान करती है । इसी कारण मात्र किशोरों की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं तक ही सीमित न रह कर माता एवं शिशु चिकित्सा को भी ध्यानार्थ रखना होगा ।

किशोरों की भोजन सम्बन्धी आवश्यकताएं अति सक्रियता व वृद्धि आवश्यकता अनुसार अधिक रहती है । भारतीय किशोरों के विकास मानक औद्योगिक देशों की तुलना में काफी कम है । इसके अतिरिक्त विशेषकर लड़कियों में लोह तत्वों व रक्त की कमी सामान्य स्थिति है ।

किशोरावस्था में ही प्रत्येक व्यक्ति यौवन प्राप्त करता है फलस्वरूप शारीरिक एंव मानसिक परिवर्तनों का आभास करता है । प्रजनन स्वास्थ्य व्यक्ति विशेष को मानसिक, सामाजिक, आर्थिक कारणेां हीन भावना व भय से रहित लैंगिक व प्रजनन व्यवहार का आनन्द उठाने व उसे नियन्त्रित करने में सक्षम बनता है ।

गर्भावस्था व शिशुधारण, किशोरावस्था में गम्भीर चिकित्सा सम्बन्धी समस्याऐं उत्पन्न करता है । अपवयस्कता, जानकारी, अनुभव व साधनों का अभाव प्रथम जनन की विषमताओं को और विकट बना देता है ।

किशोरावस्था परिवर्तन का दौर होने के साथ–साथ तनावग्रस्त समय भी है । अपनी पहचान एवं हम उम्र साथियों व समाज में स्थान बारे अनिश्चितता इस अवस्था की विशेष परिस्थितियां हैं । दस्तक देती वयस्कता, माता–पिता की अनुमति व स्वचेष्टा के कारण उपजा तनाव अनिश्चित भाव–भंगिमाएं लाता है । इस सब का अन्त स्वनिवनाशक व्यवहार के रूप में भी हो सकता है । रचनात्मक गतिविधियों का सृजन, खुली मानसिकता व हमदर्दी पूर्ण उपचार ही इस मानसिक तनाव से छुटकारा दिला सकता है ।

युवा स्वाथ्स्य के क्षेत्र में संक्रामक रोग व विशेषकर लैंगिक संक्रामकता की बीमारियां एक मुख्य चुनौती है । किशोर, जोखिमपूर्ण व्यवहार, परामर्श व जानकारी के अभाव व उपचार सुविधाओं तक पहुंचने में झिझक के फलस्वरूप आसान शिकार है । किशोर महिलायें शारीरिक व सामाजिक रूप से अधिक कोमल हैं । अतः एच0आई0वी0 एड्स व लैंगिक रूप से संक्रामक बीमारियों के विरूद्ध अभियान को इस लक्ष्य समूह की ओर इंगित करना नितान्त आवश्यक है ।

धुम्रपान, बीमारी एवं मृत्यु का एक मात्र बड़ा कारण है । किशोरावस्था में ही मनुष्य इस भयानक व्याधि की ओर आकर्षित होता है । किशोर आयु में धुम्रपान की लत कई और बीमारियों को खुला निमन्त्रण है । नशों की कड़ी में मृदु प्रभावी होने के फलस्वरूप धुम्रपान को कदापि ही गम्भीरता से लिया जाता है । युवा लोग अत्याधिक संख्या मे नशों एवं एड्स जैसी घातक बीमारियों के शिकार बन रहे हैं । अतः

यह मुख्यतः युवा समस्याऐं है। जागरूकता एवं रोकथाम प्रयासों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी ही परिणाम दिखा सकता है ।

युवा समूहों को निचले स्तर तक स्वच्छता एंव स्वास्थ्यकर परिस्थितियों को प्रोत्साहित करने में सक्रिय भूमिका दी जाएगी ।

एन0एस0एस0व एन0सी0सी0 जैसे छात्र आन्दोलनों को अभियान के संचान में प्रभावी रूप से सम्मिलित करना ।

एड्स रोकथाम अभियान को किशोर लक्ष्य समूह की ओर इंगित करना, इस प्रकरण में सांस्कृतिक प्रांसगिता को ध्यान में रखा जाए ।

स्वास्थ्य व अतिरिक्त स्वास्थ्य से जुड़े छात्रों व कर्मियों को संवेदनशील बनाने हेतु विशेष कार्यक्रम, युवा संस्थाओं को भी इन प्रयासों से जोड़ा जाएगा ।

युवाओं को स्वास्थ्य संप्रवर्तक के रूप में मान्यता । युवाओं को निम्न स्वास्थ्य गतिविधियों में संरचनात्मक ढंग से सम्मिलित किया जायेगा :–

- शौचालयों एवं जल स्त्रोतों का निर्माण ।
- सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता का पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां ।
- स्वास्थ्य मुद्दों पर सामुदायिक सर्वेक्षण व शोध ।
- रक्तदान व पोषण परियोजनाऐं ।
- हम उम्र शिक्षा माध्यम स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने में अत्यन्त महत्वपूण है ।
- सूचनाओं के प्रसारण में सामाजिक विपणन नियमों के दृष्टिगत नीति नाई जायेगी ।

4.2 (घ) युवा सशक्तिकरण :–

युवा सशक्तिकरण एक बेहद व्यापक धारणा है परन्तु इसका आशय भी उतना ही व्यापक है । युवा सशक्तिकरण के दो आयाम हैं । युवा नीति में मान्य है कि वह युवा वर्ग सशक्त है जो जीवन में पसन्दों का निर्माण कर सकें अपनी पसन्द के आशय/परिणाम की जानकारी हो, स्वतन्त्र रूप से निर्णय ले सकें, निर्णय के आधार पर कार्य कर सकें व परिणाम का उत्तरदायित्व भी उठा सकें और युवा वर्ग के सशक्तिकरण का अर्थ है ''ऐसी परिस्थितियों का निर्माण व सहायता जिन में युवा वर्ग स्वतन्त्र रूप से स्वशर्तो पर कार्य कर सकें और युवा वर्ग के सशक्तिकरण का अर्थ है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण व सहायता जिनमें युवा वर्ग स्वतन्त्र रूप से स्वशर्तो पर कार्य कर सकें बजाय कि अन्यों के निर्देशों पर'' सहायक परिस्थितियों को चार वर्गो में वर्गीकृत किया जाता है । आर्थिक व सामाजिक आधार, राजनीतिक इच्छा शक्ति, उपयुक्त साधनों का आबंटन व सहायक कानूनी व प्रशासनिक ढांचा समानता, शान्ति व लोकतन्त्र से परिपूर्ण स्थिर वातावरण, ज्ञान, सूचना, दक्षता व सकारात्मक मूल्य प्रणाली की सुलभता ।

संक्षेप में, युवा नीति के गठन का मन्व्य ही युवा सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की प्रकिया को गति प्रदान करना है । यह सर्वमान्य है कि युवा ही युवा विकास को प्रोत्साहित करने में सर्वोपरि स्त्रोत है । विकास की प्रकिया व उत्पाद में युवा सकिय भागीदार रहता है । इसका आशय निर्णय प्रकिया के प्रत्येक स्तर पर युवाओं की सक्रिय भागीदारी भी छै । युवा नीति के माध्यम से एक ऐसा गैर राजनीतिक मंच प्रदान करने की व्यवस्था है जहां युवाओं की परिकल्पना, चुनौतियों के निर्धारत व अनुक्रिया में, विशेषकर युवा विकास क्षेत्र में, सक्रिय भूमिका हो ।

खण्ड, जिला व राज्य स्तर पर युवा प्रयासों में युवाओं का प्रतिनिधित्व व सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाएगी ।

4.2 (च) लिंग समानता/न्यायः

राज्य युवा नीति में माना गया है कि राज्य में लिंग पूर्वाग्रह किसी न किसी रूप में विद्यमान है । वर्ष 1991 में 976/1000 के लिंग अनुपात का वर्ष 2001 में ं 970/1000 तक लुढ़कना, परिस्थिति का सूचक है ।

युवा नीति घोषित करती है कि ---वैयक्तिक परिपूर्णता व सामाजिक विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समानता अनिवार्य है । लिंग आधार पर भेदभाव व्यक्ति विशेष के मानव अधिकारों का हनन है ।

माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक कन्या की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ व प्रभावी बनाने की आवश्यकता है । निःसन्देह, राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है परन्तु महिला साक्षरता पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

परिवार का आकार तय करने में महिला का निर्णय अन्तिम हो ।

युवा महिलाओं तक पोषण, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ करना ।

क्योंकि महिलायें लैंगिक हिंसा व लैगिंक संक्रामक बीमारियों का शिकार बनती है अतः दृष्टिकोण में संवेदनशीलता बांछित है ।

समाज में महिलाओं के प्रति नकारात्मक सांस्कृतिक मनोवृति व आचरण को समाप्त किया जाना है ।

सभी स्तरों पर महिलाओं के आर्थिक शोषण को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए ।

युवा मण्डलों, युवा छात्र संगठनों व संचार माध्यमों के प्रभावी उपयोग द्वारा समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों बारे संवेदनशीलता लाई जाएगी ।

4.2 (छ) **पर्यावरणः**

युवा नीति मानती है कि युवा वर्ग पर्यावरण संहार के दुष्परिणामों से अत्याधिक प्रभावित होता है । हिमाचल प्रदेश पर्यावारण की दृष्टि से एक अति संवेदनशील है व वर्तमान भौगोलिक परिदृश्य में हरित छतरी, भू–कटाव व परिस्थितिकी ढांचे के संरक्षण का दायित्व भी राज्य का ही है । युवा पीढ़ी के लिए स्वस्थ वातावरण सर्वोपरि है ।

युवा नीति, युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मूलभूत स्तर पर समाज को झकझोरने में सक्षम मानती है ।

पर्यावरण संहार विभिन्न स्वरूपों में युवा वर्ग को प्रभावित करता है । ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनयापन के साधन कम से कमतर हो जाते हैं जिसके कारण रोजी–रोटी के लिए अधिक मेहनत, गैर पारम्परिक व्यवसायें की ओर बदलाव व पलायन जैसी गम्भीर समस्याओं की शुरूआत होती है । इन्हीं परिस्थितियों के दृष्टिगत युवा नीति निम्न कार्यवाही प्रस्तावित करती है :–

- स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा पर बल, पर्यावरण शिक्षा को बाह्य ज्ञान अर्जन प्रकिया में शामिल करना ।

- युवा संस्थाओं की पर्यावरण कार्य योजना के निर्धारण व कार्यान्वयन में सक्रिय प्रतिभागिता ।
- कूड़ा प्रबन्धन व तत्वों के पुर्नउपयोग में व्यवसायिक शिक्षा को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करना ताकि युवा पीढ़ी को जीवनयापन का अतिरिक्त साधन प्राप्त हो साथ ही पर्यावरण

  संहार में रोक लगे ।

- युवा मण्डलों को स्थानीय समुदाय की सहायता व पर्यावरण को संरक्षित करते हुए प्राथमिक क्षेत्र में आय उत्पादक गतिविधियों को अपनाने में प्रोत्साहित किया जायेगा जैसे

  कृषि, उद्यान व वानिकी इत्यादि ।

- युवा मण्डलों व छात्र संगठनों को जन संसाधनों जैसे जल स्त्रोत, वनों, चारागाहों व क्षेत्र में उपलब्ध वनस्पति को लिपिबद्ध करने में प्रोत्साहित किया जायेगा ।

- सांझी वन योजना जैसी विकास योजनाओं में युवाओं व युवा समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित व सुनिश्चित किया जायेगा ।

- स्कूलों में ग्रीन क्लब आन्दोलन को राष्ट्रीय सेवा योजना के सक्रिय सहयोग से सशक्त किया जायेगा ।

4.2 (ज) **मादक पदार्थों को दुरूपयोग**

निर्भरता उत्पन्न करने वाले मादक पदार्थो का सेवन एक सार्वभौमिक व्यसन है । परन्तु शराब, अफीम व चरस जैसे पूर्व प्रचलित मादक पदार्थों में हशीश, हेरोईन, एल0एस0 डी0 इत्यादि घातक नशों के आने से स्थिति ने विस्फोटक रूप ले लिया है । युवा, अपनी जीवन शैली व व्याप्त परिस्थितियों के कारण, एक सुलभ शिकार है । प्रदेश में भी चरस की अवैध तस्करी में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है, अपनी समस्त खूबियों के बावजूद पर्यटन उद्योग भी युवा वर्ग को इस व्यसन से परिचित करवाने में सहायक है ।

युवाओं में मादक पदार्थो का सेवन एक भयानक समस्या है । युवा नीति के माध्यम से रोकथाम गतिविधियों में उग्रता एवं उपचार प्रयासों को समन्वित करने का जिम्म उठाया जायेगा ।

कठोर कदम भी युवा वर्ग में नशों के प्रयोग को पूर्णतः कम करने व कुचक्र में फंसन से रोकने में असफल रहे हैं । युवा मंचों का सूचना के प्रसारण व जागरूकता लाने में सघन उपयोग किया जायेगा ।

प्रस्तावित युवा केन्द्र में परामर्श कोष्ठ का गठन किया जायेगा ।

नशा निवारण केन्द्रों के संचालन व नशों से ग्रस्त व्यक्ति को एक पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करने में युवा वर्ग की सहभागिता को बढ़ावा दिया जायेगा ।

युवाओं के बीच आदर्श व्यक्तित्व को प्रचारित किया जायेगा जिसकी अनुपालना हेतु वह प्रेरित हों ।

गैर–सरकारी व अन्य पुण्यार्थ संस्थाओं को भी इस क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाएगा ।

4.2 (झ) **मनोरंजन, खेल व विश्राम**

युवा नीति के मुख्य उद्देश्यों में युवाओं क े व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है । परन्तु यह भी सत्य है कि खेल व विश्राम जैसे मुद्दे नियमित पाठ्यचर्या में लुप्त हो जाते हैं । युवा नीति खेल मनोरंजन व अन्य गतिविधियों को मानव संसाधन विकास का एक प्रभावी एंव सशक्त माध्यम स्वीकारती है । खेल अर्न्तनिहित जोश, रचनात्मकता, भाईचारे व कुछ कर दिखाने की इच्छाशक्ति के संवर्घन का सशक्त माध्यम है । हमारे समाज में खेल संस्कृति का अभाव युवा पीढ़ी के सर्वोन्मुखी विकास में बाधक है । खेलों को व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक गुणों की प्रभावी विद्या स्थली के स्थान पर, हमेशा एक जीविका उपार्जन के वैकल्पिक माध्यम के रूप में देखने का पूर्वाग्रह, युवा वर्ग को खेल के रोमांच से वंचित करने के साथ–साथ, प्रतियोगितात्मक खेलों में गिरते स्तर का कारण भी है ।

अतः युवा नीति वर्णित करती है किः

- राज्य खेल नीति की समस्त अनुशंसाओं को मूल रूप में लागू किया जाये ।
- शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा बिताए समय का पांचवां भाग बाह्य गतिविधियों में व्यतीत होना चाहिए ।
- पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण खेलों को अपनाने व उपयुक्त ढांचा निर्माण हेतू प्रोत्साहित किया जायेगा ।
- खण्ड स्तर से युवा उत्सवों का आयोजन किया जायेगा ।
- व्याख्यान व वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्य स्तर पर प्रारम्भ किया जायेगा ।

- केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजना के अनतर्गत युवा आवासों का निर्माण किया जायेगा ।

- युवा सेवा एंव खेल विभाग, पर्यटन व वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में साहसिक खेलों के आयोजनों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

- राज्य में युवा वर्ग के मध्य परिस्थितिकी निपथ यात्रा को प्रोत्साहन ।
- केन्द्र सरकार की सहायता से ग्रामीण खेलों व महिला खेल उत्सवों का निरन्तर व प्रभावी आयोजन किया जायेगा ।

4.2 (ट) **कला व संस्कृति**

क्ला एवं संस्कृति का मूल उद्देश्य मन को परिष्कृत कर विशाल हृदय विकसित करना है जो व्यक्ति विशेष को जीवन व प्रकृति की सुन्दरता को सराहने की क्षमता प्रदान करें । युवा पीढ़ी में भारतवर्ष की महान विरासत और विशेषतः हिमाचल की जानकारी व अनुभूति का होना आवश्यक हे । कला एवं संस्कृति एक महत्वपूर्ण मनोरंजन गतिविधि भी है । यह व्यक्ति में अर्न्तनिहित रचनात्मकता को उभारती है व उन्नति सुनिश्चित करती है । युवा नीति सुनिश्चित करती है किः

युवा वर्ग को भारत व हिमाचल प्रदेश की समृद्ध परम्पराओं व विरासत को जानने के अवसर प्रदान किए जाएगें ।

उन्हें इस महान विरासत के संरक्षण बारे संवेदनशील बनाया जाएगा ।

राज्य युवा केन्द्र की स्थापना, युवा वर्ग को रचनात्मक गतिविधियों के पूर्ण अवसर प्रदान करेगी । इसी रूप में जिला युवा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ।

4.2 (ठ) **विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी**

विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी के सिद्धान्त आम आदमी के लिए भी महत्वपूर्ण हैं । वैज्ञानिक विचारधारा अन्धविश्वासों एवं हठधर्मिता से मुक्ति दिलाती हैं । यह युवा पीढ़ी को परिकल्पना के विस्तारीकरण व विकास को द्रुत गति प्रदान करने में भी सहायक रहती है । राज्य युवा नीति प्रयास करेगी किः

विज्ञान को समस्त युवा वर्ग में लोकप्रिय बनाया जाये व इसे एक उपयोगी विषय के रूप में प्रोत्साहित किया जाये ।

युवा वर्ग में मूल वैज्ञानिक सिद्धान्तों का पुनः प्रवर्तन व लोकप्रिय बनाना ताकि वैज्ञानिक उपलब्धियों में गुणात्मक एवं परिणात्मक वृद्धि सम्भव हो ।

शिक्षा विभाग व स्टैप के द्वारा प्रयास जारी है, इन्हें और सशक्त बनाने की आवश्यकता है ।

विज्ञान व प्रौद्यागिकीके क्षेत्र में प्रतिभावान युवाओं की अल्पायु में पहचानव प्रेशिक्षण हेतु प्रेक्रिया का निर्धारण ।

युवाओं में मूलभूत वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतू निजि, सरकारी व गैर–सरकारी क्षेत्र की प्रतिभगिता से बहुखण्डीय व्यवस्था ।

4.2 (ड) **मनोरंजन, खेल व विश्राम**

नागरिक एवं नागरिकता से अभिप्राय उत्तरदायी जीवनशैली को प्रोत्साहित करना व युवाओं में असामाजिक व्यवहार की प्रवृति पर रोक लगाना है । मानव स्वभाव व विचारधारा समाज में विद्यमान जीवन मूल्यों व सिद्धान्तों के आधार पर विशेषतः प्रभावित एवं विकसित होती है । आज समाज व व्यक्ति द्रुतगारी संचार माध्यमों के फलस्वरूप विभिन्न संस्कृतियों से बढ़ते निकट सम्पर्क व बदलती जीवन शैली के कारण, जीवन मूल्यों, सिद्धान्तों व मूल सोच में निरन्तर परिवर्तन अनुभव कर रहा है ।

युवाओं पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक सभी प्रकार की धारणायें शीघ्र असर करती हैं । असामाजिक व्यवहार वस्तुतः कुछ जीवन मूल्यों का ह्रास अथवा गायब होना है । युवा व्यवहार में आए बदलावों को उन्हीं के दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है ।

सभी स्तरों पर ऐसे लक्षणों के फैलाव को लक्ष्य आधारित हस्तक्षेप नियंत्रित करना अनिवार्य है जो समाज में अपराधों के जनन, सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा, सार्वजनिक सम्पति की तोड़फोड़, पारिवारिक जीवन मे माता–पिता के प्रभुत्व में कमी, बुजुर्गों के प्रति अनादर एंव उदासीनता, संस्थानों व खेल गतिविधियों में अनुशासनहीनता एवं सार्वजनिक जीवन में कार्य रहित व भ्रष्ट प्रवृति उत्तपन्न करने के उत्तरदायी है।

5. प्राथमिक लक्ष्य समूहः

5.1 राज्य युवा नीति समस्त युवा वर्ग की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को केन्द्रित कर बनाई गई है । मूलतः युवा आयु को दो भागों में विभक्त किया जाता है ।

13–19 किशोरावस्था ।

20–35 परिपक्वता की अवस्था ।

5.2 किशोरावस्था एक अत्यधिक जटिल दौर है । शारीरिक व मानसिक बदलावों के कारण व्यक्ति में अधीरताख जानने की तीव्र इच्छ व कुछ कर दिखाने की उत्सुकता हावी रहती है । विशिष्ट व्यवहार शैली एवं अत्याधिक प्रभावित हो सकने वाले पड़ाव के फलस्वरूप किशोरावस्था उच्च प्राथमिकता वर्ग है । सामाजिक एवं आर्थिक वास्तविकाताओं के मद्देनजर राज्य युवा नीति निम्नांकित युवा समूहों को प्राथमिकता प्रदान करेगीः–

(क) विकलांगता से ग्रसित युवा

(ख) ग्रामीण युवा

(ग) बेरोजगार युवा

(घ) स्कूल व्यवस्था से बाहर युवा

(च) छात्र

(छ) युवा महिलाएं

(ज) जनजातीय एवं निम्न वर्गों से सम्बन्धित युवा

(झ) सामाजिक बहिष्कृत व्यवहार वाले युवा

(मादक पदार्थों की लत से ग्रस्त एवं किशोर उपराधों में संलिप्त) ।

6. कार्यान्वयन प्रणालीः

6.1 राज्य युवा नीति में निक्नलिखित कार्यान्वयन प्रणाली निहित हैः

(क) राज्य सरकार का प्रत्येक मन्त्रालय/ विभाग युवाओं के लिए बजट में चिन्हित प्रावधान करेगा ।

(ख) युवाओं से सम्बन्धित काय्रक्रमों की समीक्षा हेतु विधानसभा कमेटी गठित की जायेगी

(ग) युवाओं से सम्बन्धित समस्त कार्यकमों के लिए युवा सेवा एवं खेल विभाग एक नोडल विभाग बनाया जाएगा तथा इसी विभाग पर विधान सभा समिति की सभी विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूचना प्रदान करने का दायित्व होगा ।

(घ) राष्ट्रीय युवा आयोग की तर्ज पर राज्य युवा आयोग का गठन किया जायेगा । इसे युवा नीति से सम्बन्धित सभी विषयों के कार्यान्वयन व निरीक्षण हेतु संवैधानिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी ।

(च) प्राथमिक लक्ष्य क्षेत्रों में युवा विकास प्रयासों पर चर्चा, परिकल्पना व कार्यान्वयन हेतु राज्य युवा बोर्ड एक नामित संस्था के रूप में कार्य करेगी ।

(छ) युवा भावी योजनाओं की परिकल्पना के केन्द्र में रहे इसलिए योजना विभाग में भी युवा प्रकोष्ठ प्रस्तावित है ।

7. समीक्षाः–

विधान सभा समिति की सिफारिशों के अनुरूप युवा नीति के अपनाने के पांच वर्षों के उपरान्त राज्य युवा नीति की समीक्षा व संशोधन किया जायेगा ।

8. निष्कर्षः–

8.1 युवाओं के लिए नीति मूलतः एक विकास पत्र होती है । युवाओं के लिए पृथक नीति का विचार ही युवा वर्ग की बढ़ती महत्ता को दर्शाता है । राज्य युवा नीति 2002 स्थानीय परिस्थितियों को वांछित अधिमान देते हुए भू.मण्डलीय एवं राष्ट्रीय परिदृष्य के अनुरूप ढाली गई है ।

8.2 शिक्षा तथा स्वास्थ्य, युवा महत्व के दो प्रमुख पहलुओं पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है । इन दोनों क्षेत्रों में वृद्धि, पहुंच व गुणात्मक रूप से, प्रभावशाली रही है व इसे और बेहतर बनाने के लिए सतत् प्रयास जारी हैं । युवा नीति में निहित दिशा निर्देश युवाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर वांछित संवेदनशीलता व गम्भीरता लाने में सहायक होगें । इस पहाड़ी प्रदेश में रोजगार के अवसर न्यूतम रहे हैं । पारम्परिक तौर पर, परोक्ष अथवा अपरोक्ष, सरकारी क्षेत्र गुजर–बसर का मुख्य स्त्रोत माना गया है । परन्तु लोगों तथा सरकार की दूरदर्शिता, गम्भीरता तथा कठिन परिश्रम के फलस्वरूप बागवानी, हस्तशिल्प, गैर–परम्परागत कृषि व जैव विविधत में नये अवसरों का सृजन सम्भव हुआ है व विस्तार जारी है । दूरस्थ एवं पहाड़ी समाज में आत्मनिर्भरत व आपसी सहयेाग से जीवनयापन सदैव ही जीवन का हिस्सा रहा है । कम होती दूरियों के इस युग में, हमें अपनी जीवन शैली की विशिष्टताओं को पुनः जागृत करना है । खनिज उद्योग एवं जलविद्युत के क्षेत्र में विवेकपूर्ण विकास ही परिस्थितियों को ओर बेहतर बनायेगा । अकुशल एवं अर्द्ध साक्षर युवाओं का गांवों से शहरों की ओर पलायन एक चिन्तनीय विषय है । इसके अतिरिक्त माद पदार्थों का बढ़ता सेवन तथा भयानक संक्रामक रोग जैसे एड्स इत्यादि युवा विकास पर बढ़ते ग्रहण हैं । एकीकृत दुष्टिकोण से किए गए प्रयास ही इन कुप्रभावनों को कम कर राहत दे सकेगें ।

8.3 युवा नीति को उस समय लागू किया जा रहा है जब पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के स्थिर दोहन में युवा भागीदारी की अत्यधिक आवश्यकता है । बालिकाओं की घटती संख्या, उनके प्रति समाज में व्याप्त नकारात्मक सांस्कृतिक रवैये व प्रचलन को समाप्त करने का आह्वान करती है । सही दिशा में उठाए गए कुछ कदम जहां युवा सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का सृजन करेगें वहीं सपन्दनशील राज्य के निर्माण में युवा भागीदारी को प्रोत्साहित करेगें ।

कार्य योजना

1. राज्य सरकार के सभी मन्त्रालयों विभागों द्वारा युवा कार्यक्रमों में चिन्हित बजट प्रावधान किए जाएंगे ताकि कार्यान्वयन में अन्तर्क्षेत्रीय समन्वय स्थापित हो सके ।

2. राज्य विधान सभा से अनुराधे किया जाएगा कि युवा कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु विधायी समिति गठित करे । युवा सेवा एवं खेल विभाग नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा ।

3. वर्तमान में विभिन्न विभागों/संस्थाओं के माध्यम से संचालित उद्यमता विकास,ऋण योजनाओं व युवा विकास कार्यक्रमों का विस्तार कर नए अवसरों का सृजन किया जाएगा ।

4. युवा सेवा एंव खेल विभाग, सम्बन्धित विभागों के सहयोग से रोजगार के अवसरों के सृजन एवं पहचान में सक्रिय व अग्रणी भूमिका निभा समन्वय स्थापित करेगा । अन्य राज्यों अथवा संस्थाओं में युवा रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयत्नों का विस्तृत अध्ययन, प्रारम्भिक परियोजना के रूप में किया जाएगा ।
5. युवाओं मे स्वरोजगार इकाइयों व उद्यमता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, लघु एवं सूक्ष्म स्तर पर उभरते उद्यमियों (प्रथम पीढ़ी)के लिए राज्य युवा बोर्ड, उद्योग विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं हिमकॉन के सौजन्य से जिला व राज्य स्तर पर उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारम्भ किए जाएंगे ।
6. युवा सेवा के माध्यम से स्वरोजगार अवसरों की जानकारी जिला स्तर पर उपलबध करवाई जाएगी इस धारणा को भविष्य में पूर्ण व्यवस्थित युवा केन्द्रों में विकसित किया जागए ।
7. राष्ट्रीय युवा आयोग की तर्ज पर राज्य युवा आयोग गठित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे । महिला युवाओं को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा । राज्य युवा आयोग सभी युवा कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए शीर्ष संस्था होगी ।
8. युवा मण्डलों के गठन से लेकर समस्त युवा कार्यक्रमों में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान किए जाएंगे । युवा मण्डल पंजीकरण में महिला युवाओं की 30 प्रतिशत सदस्यता वांछित होगी ।
9. भारत सरकार, नेहरू युवा संगठन, गैर–सरकारी संगठनों द्वारा लागू की जा रही युवा गतिविधियों तथा युवा विकास योजनाओं को युयवा सेवा एवं खेल विभाग की योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर दक्षतापूर्ण कार्यान्वित किया जाएगा ताकि इनका गुणात्मक प्रभाव बने, प्राथमिकताऐं निर्धारित हों व स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा मिले ।
10. निदेशक, युवा सेवा एंव खेल विभाग हि0प्र0 की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर कार्यक्रम समन्वय समिति का गठन किया जाएगा । (बाई0एस0एस0,एन0वाई0के0 व एन0एस0एस)1
11. राष्ट्रीय सेवा योजना को सुदृढ़ बनाया जाएगा । जिला स्तर पर जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया जाएगा ।
12. स्वास्थ्य विभाग व राज्य एड्स जागरूकता समिति के समन्वय से भयानक संक्रामक रोगों के विरूद्ध, गैर –सरकारी संगठनों की सहायता से विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें सांस्कृतिक सन्दर्भ व धरातल की वास्तविकताओं को ध्यानार्थ रखा जाएगा ।
13. युवा संगठन व शैक्षणिक संस्थानों से युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन के कुप्रभावों बारे अभियान से प्रोत्साहित किया जाएगा । नशा निवारण केन्द्रों को एन0एस0एस0,एन0सी0सी0 व युवा मण्डल स्वयं सेवियों के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा ।
14. राज्य युवा केन्द्र(भारत सरकार की प्रस्तावित योजना व राज्य युवा बोर्ड द्वारा) गठित करने के लिए पग उठाए जाएंगे । यह केन्द्र युवा गतिविधियों का केन्द्र होगा तथा शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण, रचनात्मक गतिविधियों व युवा कार्यक्रमों के अवसरों की जानकारी व प्रसार में एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा । इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियों एवं व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण स्त्रोत केन्द्र का मंच भी प्रदान करेगा । धारणा को जिला स्तर पर भी विकसित किया जाएगा, साईबर ढाबा भी प्रदत्त सुविधाओं में शामिल हो सकता है ।
15. भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत सभी जिलों में युवा छात्रावास निर्मित कर संचालित करवाये जाएंगे ।
16. छात्र युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास काय्रक्रमों जैसे एन0सी0सी0,भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स इत्यादि को राज्य में युवा कार्यक्रमों के रूप में समन्वित व विकसित किया जाएगा ।
17. युवा संगठनों, वन विभाग, पर्यटन विभाग व पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध खेल निदेशालय के सांमजस्य से साहसिक खेलों को प्रदेश के युवा वर्ग में बढ़ावा दिया जाएगा ।
18. युवा मुद्दों के प्रति लोगों को संवेदनशील करने के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा युवाओं में परिवार व बुजुर्गों के प्रति सेवाभाव व आदर को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

19. प्रारम्भिक दौर में युवा मण्डलों प्रस्तावित राज्य युवा केन्द्र, युवा छात्रावासों व जिला युवा केन्द्रों को भारतीय संविधान के मूल्यों एवं सिद्धान्तों के प्रति जागरूकता व प्रतिबद्धता लाने, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा नेतृत्व को उभारने के लिए आधार स्तम्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा ।

20. बड़े पैमाने पर योग व स्थानीय एवं आधुनिक खेलों को युवा कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बना शारीरिक स्वस्थय को बढ़ावा दिया जाएगा । साहसिक गतिविधियों को रोमांच , जोखिम, टीम भावना व स्थायित्व सहनशक्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

21. राज्य युवा बोर्ड को पुर्नगठित कर, युवा प्रशिक्षण व स्वरोजगार क्षेत्र में प्रयासों हेतू संसाधनयुक्त बनाया जाएगा ।

22. राज्य युवा बोर्ड के अनुदान नियमों को वैयक्तिक आधार पर दक्षता, शिक्षा एवं रोजगार विकास पर आधारित योजनाओं के संचालन के अनुरूप ढाला जाएगा, अन्य योजनाओं में युवा समूहों को अपनाया जाता है ।

23. हिमाचल प्रदेश का युवा सेवा एंव खेल विभाग राजीव गांधी युवा विकास संस्थान व इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं से मिलकर राज्य की आवश्यकतानुसार युवा कार्यों युवा व्यवसायिक दक्षता एवं क्षमता निर्माण में सम्बन्धित अनुसंधान व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा ।

24. युवा कार्यक्रमों के समन्वय व समीक्षा में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने की दृष्टि से राज्य युवा सेवाओं को ढांचागत व व्यवसायिक रूप में सुदृढ़ बनाया जाएगा । खण्ड स्तर तक विभागीय ढांचे को बढ़ाया जाएगा ।

25. वर्तमान नीति दिशा–निदेर्शो के अनुरूप इसे बल प्रदान करते हुए युवा विकास, प्रशिक्षण, मनोरंजन गतिविधियों, खेल, संस्कृति तथा साहसिक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा व पुनरीक्षण किया जाएगा ।

26. स्वयंसेवी युवा समूहों/ युवा मण्डलों का ग्रामीण स्तर पर गठन व सहकारी सभायें अधिनियम के अन्तर्गत इनके पंजीकरण को युवा सेवा एंव खेल विभाग व रजिस्ट्रार सहकारी सभाओं के सांमजस्य से युक्तिसंगत बनाया जाएगा । पंचायती राज संगठनों की भागी दारी से क्षेत्र विशेष में युवा कार्यक्रमों हेतु युवा मण्डलों की नोडल संस्था बनाया जाएगा । युवा मण्डलों को लिंग भेर रहित बनाने का प्रयास होगा ।

27. युवा मण्डलों को प्रशिक्षण, परियोजना आधारित सहायता व निरन्तर परामर्श से सुदृढ़ किया जाएगा । युवा मण्डल कार्यक्रमों में प्राथमिकता क्षेत्र तय किऐ जाएगें ।

28. विभाग द्वारा एक निर्देशिका तैयार की जाएगी जिसमें ययवुा मण्डलों की भूमिका कर्तव्य परिभाषित किए जाएंगे ।

29. नवगठित युवा मण्डलों के पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधा जिला स्तर पर वर्ष में दो बार ।

30. युवा क्लबों के कार्यकलापों के मूल्यांकन हेतु एक कार्य समिति का गठन किया जाएगा । हर वर्ष जिला स्तर पर पहले तीन श्रेष्ठ युवा मण्डलों को 25,000/–, 15,000/– व 10,000/– रूपये के नकद पुरस्कार राज्य स्तरीय समारोह में दिए जाएंगे ।

31. कार्यक्षेत्र में युवा कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचनाओं तथा जागरूकता को फैलाने क लिए राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवी योजना को सक्रियता से लागू किया जाएगा ।

32. युवा स्वयं सेवीयों की भूमिका उनके कर्तव्यों व युवा कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुरूप परिभाषित की जाएगी ।

33. युवाओं के लिए स्वरोजगार के क्षेत्र में, पर्यटन, पुष्प उत्पादन व जैव प्रौद्योगिकी में लघुकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रस्ताव (युवा सेवा एंव खेल विभाग की पूर्व संचालित युवा प्रशिक्षण योजना का पुनरीक्षण सम्बन्धित संस्थानों से विचार–विमर्श उपरान्त) ।

34. विकास में जन सहयोग योजना में युवा भवनों के निर्माण का अनुमोदन किया जाएगा ।

35. स्वामी विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत युवा कार्यक्रमों की समीक्षा व पुनरीक्षण राज्य स्तर पर विशेष समिति का गठन किया जाएगा । जो कि येाजना में संशोधन हेतु अपने सुझाव देगी ।

36. भारत सरकार की योजना के अनुरूप युवा विकास केन्द्रों को मिलने वाली 30,000 रूपये की विशेष सहायता योजना को एन0वाई0के0 सहयोग से व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा ।

37. इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभिन्न संवेदनशीलयुक्त मुद्दों पर विशेष परियोजना प्रस्ताव राज्य एंव केन्द्र सरकार के ध्यानार्थ लाये जाएंगे ।